

## SITE ISNPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under F.C. Act, 1980)

## Proposal No. FP/UP/ Road/144793/2021

A proposal has been received by this office from Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) Paryatanbhavan, Lucknow, Uttar Pradesh for diversion under Forest (Conservation) Act 1980 of 67.7839 Hectares of forest land for non-forest purpose. The project Envisages the use of forest land Unnao Division for Ganga Expressway.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by the undersigned on dated.

On Inspection of the site, it is found that the land acquired by the user agency is Reserve Forest/Protected forest land measuring 67.7839 Hectares.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part-1 is unavoidable and is barest minimum requires for the project. <u>Yes</u>

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in this area. If so, the details thereof.  $\underline{No}$ 

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in this area. If so, the details there of with NOC form Competent Authority, if required. **Not Present** 

The user agency has not violated the provision of Forest(Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction. <u>Yes</u>

It has been found that the user agency has violated the Forest(Conservation) Act 1980 provision, A detail report as per Para 1.90 of chapter 1, Para C of Handbook of Forest(Conservation) Act 1980 is attached. **Not Applicable** 

Specific Recommendation for the acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is **recommended** accordingly.

Place: Unnao

Date: 2-12-2021

(R.K. Singh)
Chief Conservator of Forests
Lucknow Mandal, Lucknow

## उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेस—वे निर्माण में प्रभावित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.12.2021 को उन्नाव जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का निरीक्षण किया गया जो कि कुल 67.7839 है0 है एवं जनपद के 03 रेंजों में प्रभावित हो रही है। रेंजवार प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

## रेंज का नाम- उन्नाव

Γ	क्र0	प्रभावित	स्थल का	वन	प्रभावित	प्रभावित	प्रभावित	अभियुक्ति
	सं०	स्थतों के नाम	प्रकार	ब्लाक का क्षे0 (हे0 में)	्रक्षेत्र (हेठ्र में)	पीधों की संख्या	लम्बाईx चौड़ाई	*
	1	पवई वन ब्लाक	धारा-20	62.0090	6.6240 3 गाटा	11700	552x120 मी0 =66240 वर्ग. मी.	प्रस्तावित एक्सप्रेस—वे वन ब्लाक के मध्य से गुजर रहा है। दोनों तरफ 100 मी0 से लेकर 500—600 मी0 वन भूमि है। लगभग उत्तर तरफ 23.0 हे0 एवं दक्षिण तरफ 22.0 हे0 कुल 45.0 हे0 वन भूमि अवशेष है।
	2	मझखोरिया वन ब्लाक	धारा-4	74.8270	9.4547 • 3 गाटा	16920	787.89x 120 मी0 =94547 वर्ग. मी.	प्रस्तावित एक्सप्रेस—वे वन ब्लाक के मध्य से गुजर 'रहा है। दोनों तरफ 50 मी0 से लेकर 200 मी0 तक भूमि छूट रही है। लगभग उत्तर तरफ 40.0 हे0 तथा दक्षिण तरफ 25.5 हे0 कुल 65.5 हे0 वन भूमि अवशेष है।
	3	रूपऊ वन ब्लाक	धारा—4	87.1390	3.4050 7 गाटा	6052	283x120 मी0 =34000 वर्ग. मी.	प्रस्तावित एक्सप्रेस—वे वन भूमि के एक तरफ से गुजर रहा है। एक्सप्रेस—वे लगभग उत्तर तरफ 82.0 है0 तथा दक्षिण तरफ 1.7 हे0 तथा कुल 83.7 है0 वन भूमि अवशेष है।





4	मुर्तजानगर वन ब्लाक	धारा—4	152.884	5.1127 2 गाटा	10742	425x120 मी0 =51125 वर्ग. मी.	प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे वन ब्लाक के मध्य से गुजर रहा है।
			•				एक्सप्रेस वे लगभग पिष्वम तरफ 114.0 है0
							तथा पूरब तरफ 2.0 हे0 कुल 116.0 हे0 वन भूमि अवशेष है।

रेंज का नाम- बांगरमऊ

			10	1 2441 11 1	11 1 1 1 1		
1	नवाबाद	धारा-4	149.34	12.4150	17870	1034x 120	प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे
-	ग्रन्ट वन					मी0	वन ब्लाक के मध्य से
						=124150 वर्ग.	गुजर रहा है।
	ब्लाक					मी.	एक्सप्रेस-वे लगभग
							दांयी तरफ 24.0 हे0
							तथा बांयी तरफ 20.0
							हे0 कुल 44.0 हे0 वन
- "							भूमि अवशेष है।
2	ब्योली	धारा-4	237.65	4.637	6658	386x120 मी0	प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे
_	इस्लामाबाद					=4637 वर्ग.मी.	वन ब्लाक के मध्य से
	3(0)111914						गुजर रहा है।
14			**				एक्सप्रेस-वे लगभग
			- 5				दांयी तरफ 10.0 हे0
è							तथा बांयी तरफ 6.0 हे0
y							कुल 16.0 हे0 वन भूमि
					0		अवशेष है।
							अपराप है।

रेंज का नाम- हसनगंज

			(0)	9/1 1111	6411141			
1	मवई ब्रहम्नान	धारा—4	282.59	13.2190	23529	1102x120 मी0 =132190 वर्ग. मी.	प्रस्तावित वन ब्लाक से दक्षिण रही है।	एक्सप्रेस—वे के एक तरफ दिशा में जा
2	कोटरा	धारा-20	348.18	0.5910	1053	49.25x120 मी0 =5910 वर्ग.मी.	प्रस्तावित वन ब्लाक से उत्तर रही है।	एक्सप्रेस-वे के एक तरफ दिशा में जा
3	पुरवा	धारा-4	255.06	0.1800	329	15x120 मी0 =1800 वर्ग.मी.	वन ब्लाक से उत्तर रही है।	के एक तरफ दिशा में जा

C:\Users\HP\Downloads\Nirikshan Report.doc

0/



4	सलेमपुर	धारा-4	116.60	5.7237	10192	477x120 मी0	वन ब्ल	ाक के	बीच
				16 गाटा		=57240 वर्ग.	जा र	ही है।	लगभ
						मी.	बांयी त	<b>नरफ</b>	3.50 €
							तथा द	ांयी तरा	<b>万 3.615</b>
							हे0 कुल	7.115	3 हे0 व
					X10" N. 12"		भूमि अव		

जिन वन क्षेत्रों के मध्य एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है, वन भूमि प्रबन्धन के दृष्टिगत यह उचित होगा कि

वन भूमि के किनारे की तरफ से एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित किया जाय।

(आर०के० सिंह)

मुख्य वन सरक्षक,

लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ |